

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ  
(9/58-59, राज0 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन-01552-244318(फैक्स) / 244176(फोन))  
क्रमांक:- दिनांक:-

निविदा सूचना संख्या- 04/2015-16

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मोहरबन्द निविदाएँ मण्डल के नये नियमानुसार मण्डल में पंजीकृत फर्मो से आमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड हनुमानगढ से कार्यालय समय दिनांक 15.12.15 से 22.12.15 अपराह्न 1:00 बजे तक बेचे जाकर दिनांक 23.12.15 को सायं 3:30 बजे तक प्राप्त कर सायं 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, मण्डल में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत फर्मो से आधा प्रतिशत धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर आवासीय अभियन्ता, रा0आ0म0 खण्ड हनुमानगढ के पक्ष में देय होगा तथा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ निविदा शुल्क नगद, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बिक्री कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियाँ तथा वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत राशी (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयों में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	पुरानी आवासीय योजना हनुमानगढ के सैक्टर नं0- 5 व 6 में स्ट्रीट लाईटों के मैन्टीनेंस का कार्य।	3.77	7540/-	500/-	06 Months
2	नई आवासीय योजना, मानकसर लिंक रोड, सूरतगढ के सैक्टर नं0- 01 से 03 में स्ट्रीट लाईटों के मैन्टीनेंस का कार्य।	3.87	7740/-	500/-	06 Months
3	श्री करणपुर (जिला श्रीगंगानगर) में जी.ऐ.डी.टाईप-3 दो क्वार्टरों का शेष बचा निर्माण कार्य। मैसर्स सिहाग ब्रदर्स की रिस्क एण्ड कोस्ट पर।	4.17	8340/-	500/-	03 Months

नोट :-

- 1- धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ के पक्ष में दैय होगी।
- 2- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण, वाणिज्यिक कर क्लियरेंस एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- 3- राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एक्ट के प्रावधान लागू है, जिसका समस्त दायित्व ठेकेदार को वहन करना है।
- 4- राजस्थान आवासन मण्डल को एक या सभी बिड रद्द करने का अधिकार होगा।
- 5- सशर्त बिड स्वीकार नहीं होगी।
- 6- वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 65 (ZZH) के अन्तर्गत सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय उत्पाद विभाग (Central Excise Department) में निर्धारित दिनांक तक करा लिया है, का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
- 7- निविदा बेचने/प्राप्ति/खोलने के निर्धारित दिन राजकीय/आकस्मिक अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- श्रीमान् मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- श्रीमान् अति0 मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3- श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त बीकानेर।
- 4- श्रीमान् वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
- 5- कार्यालय / रक्षित पत्रावली।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ